LAYOUT PLAN OF RESIDENTIAL SCHEME- JAGDAMBA NAGAR -II

KH. NO.- 17, 18, 575/570, 577/571, 583/16, 584/16, 585/573, 586/573, 588/576 VILLAGE-CHAK GETOR,TEHSIL-SANGANER, DIST.-JAIPUR.

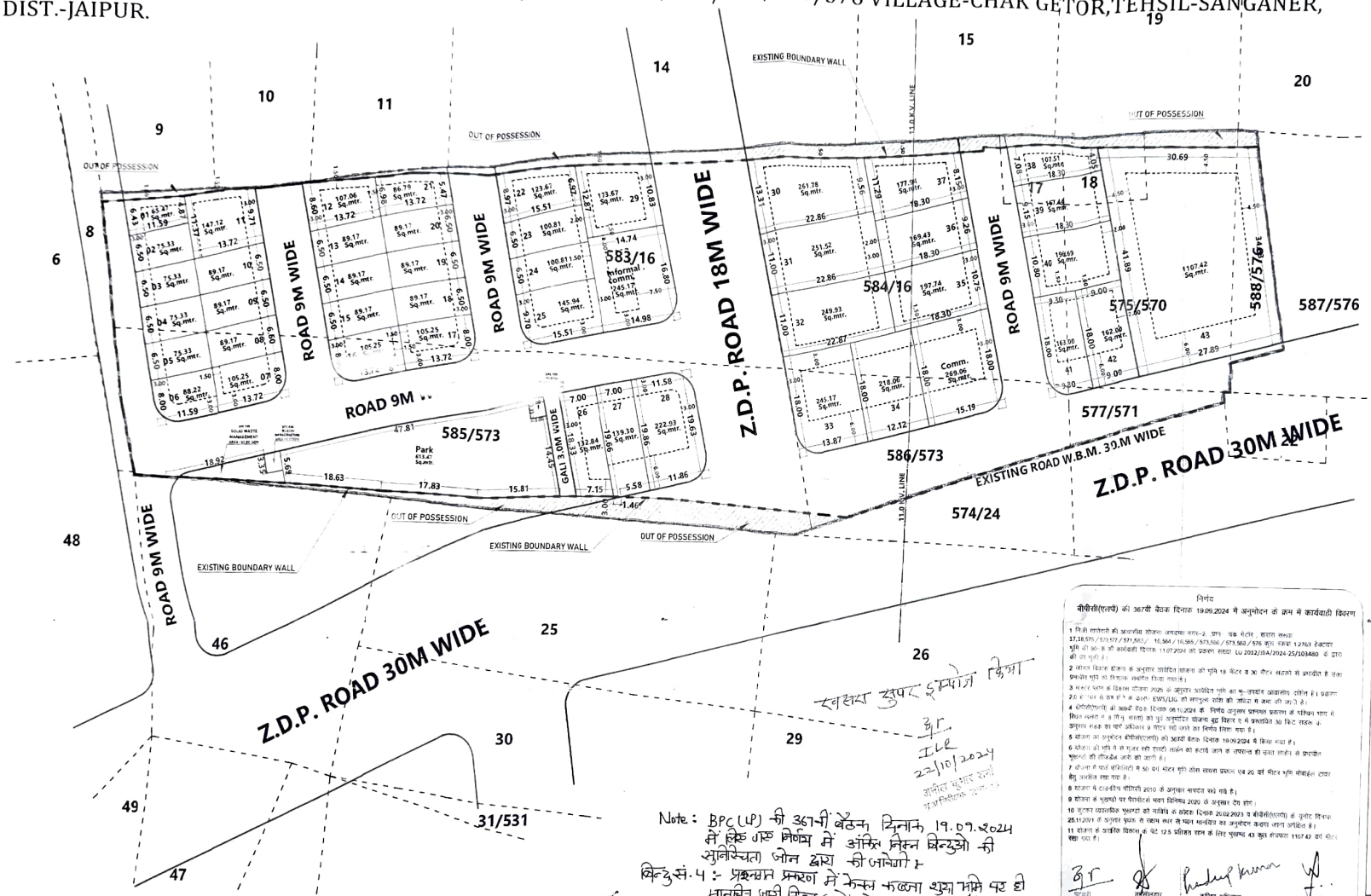

Note: BPC (LP) की 36वीं बैठक दिनांक 19.09.2024 में लिए गए निर्णय में अंकित निम्न बिन्दुओं की सुनिश्चितता जोन द्वारा की जावेगी।

बिन्दु सं. 4 :- प्रस्तुत प्रस्ताव में केस्म फाल्ना शुदा भूमि पर ही मानचित्र जारी किया जावे, रोड द्वारा 70A खसरा भूमि का फाल्ना जेसेज़ा के नाम दर्ज होने की स्थिति में उक्त भूमि जेसेज़ा की मानी जावेगी।

बिन्दु सं. 8 :- प्रस्तावित योजना में खसरा नं. 08 की भूमि पर विक्रय विलेख हस्ताक्षरे जाने के पश्चात ही लीज्होल्ड आधार को जावेगी।

बिन्दु सं. 10 :- प्रस्तावित योजना में रूल टी.आई.पी. से प्रभावित भू-खण्डों की लीजहोल्ड रूल टी.आई.पी. शिफ्ट होने के पश्चात ही जारी की जावेगी।

निर्णय

बीपीसी(एलपी) की 367वी बैठक दिनांक 19.09.2024 में अनुमोदन के क्रम में कार्यवाही विवरण

1 टी.पी. स्कीमों की आवासीय योजना जगदम्बा नगर-2 ग्राम- चक गेटर , खसरा संख्या 17,18,575/570,577/571,583/ 16,584 / 16,585/573,586/573,588/576 कुल रकबा 12763 हेक्टेयर भूमि की 90-B की कार्यवाही दिनांक 11.07.2024 को प्रकाश संख्या Lu 2012/JDA/2024-25/103480 के द्वारा की जा चुकी है।

2 जोनल विकास योजना के अनुसार आवेदित योजना की भूमि 18 मीटर व 30 मीटर सड़कों से प्रभावित है तथा प्रस्तावित भूमि को नियमन संबंधित किया गया है।

3 मास्टर प्लान के विकास योजना 2025 के अनुसार आवेदित भूमि का भू-उपयोग आवासीय दर्शित है। प्रस्ताव 2.0 ई.डब्लू.एस व एल.आई.जी. EWS/LIG की समतुल्य संख्या की जमीन दी जानी है।

4 बीपीसी(एलपी) की 36वीं दि.व. दिनांक 06.10.2024 के निर्णय अनुसार प्रस्तावित प्रकाशन के पश्चिमी भाग में स्थित खसरा न. 575/1 सरकारी को पूर्व अनुमोदित योजना बृज विहार ए में प्रस्तावित 30 फिट सड़क के अनुसार संरक्षित का पार्ट जमीन 9 मीटर रही जाने का निर्णय लिया गया है।

5 योजना का अनुमोदन बीपीसी(एलपी) की 36वी बैठक दिनांक 19.09.2024 में किया गया है।

6 योजना की भूमि में से गुजर रही एलटी लाईन को हटाये जाने के उपरान्त ही खसरा वार ही ट्रान्सफर भूखण्डों की रजिस्ट्रेशन जारी की जावेगी।

7 योजना में पार्क कम्युनिटी में 50 प्रति मीटर भूमि ठोस सरफेस प्रकाशन एवं 20 प्रति मीटर भूमि सॉफ्टसेप्ट टायर हेतु संरक्षित रखा गया है।

8 योजना में राजकीय पॉलिसी 2010 के अनुसार मापदंड रखे गये है।

9 योजना के भूखण्डों पर पैरामीटर्स भवन विनियम 2020 के अनुसार देय होगा।

10 कृषक खातावार भूखण्डों को नक्शेवार के संबंध दिनांक 20.02.2023 व बीपीसी(एलपी) के पुनीत दिनांक 25.11.2021 के अनुसार पृथक से खाता स्तर से पहले मानचित्र का अनुमोदन करवा जाना अपेक्षित है।

11 योजना के आवेदित विस्तार के 9% 12.5 प्रतिशत खसरा के लिए भूखण्ड 43 कुल संख्या 11047.42 वर्ग मीटर रखा गया है।

तहसीलदार जोन-09 | कनिष्ठ अभियन्ता जोन-09 | सहायक नगर नियोजक जोन-09

उपखण्ड अधिकारी सांगानेर | मुख्य नगर नियोजक जोन-13

सहायक नगर नियोजक बीपीसी(एलपी) | अतिरिक्त मुख्यनगर नियोजक बीपीसी(एलपी)

J.D.A.

1467
B
5 11.24.

Residential Scheme Area Analysis:-

S.no.	Land Use	Area(sq.mtr)	Percent	
1	Residential	6730.67	54.86 %	59.05 %
2	Comanercial	269.06	02.19 %	
3	Informal comm.	245.17	02.00 %	
4	Park	613.47	05.00 %	
5	S.w.m. + M.T.	70.22	00.57 %	
6	Road	2300.36	18.76 %	40.95 %
7	Road 18.0M WIDE	995.07	08.11%	
8	Road 30.0M WIDE	1043.60	08.51 %	
	Total area	12267.62	100.00 %	100.00%

TOTAL AREA 90 A = 12763.00 SQ.MTR.
OUT OF POSSESSION = 495.38 SQ.MTR.
TOTAL AREA IN SCHEME = 12267.62 SQ.MTR.

योजना की मौके जांच, सर्वेक्षण एवं मास्टर विकास योजना 2025 व जोनल विकास योजना की सडकों, भू-उपयोग एवं क्षेत्रफल इत्यादि से संबंधित पूर्ण जांच कर स्थित योजना मानचित्र में अंकित की गई है।

डेडीकेटेड सलाहकार
फर्म का नाम एवम् हस्ताक्षर

Note:-

Consultant
Sulabh Technical Services Pvt. Ltd.
B-85/A , Ganesh Marg
Bapu Nagar, Jaipur-15
9414066188, 9829147939
Email:- stsjpr15@gmail.com
website:- stsjaipur.com

NAME OF SOCIETY :-	NIJI KHATEDHARI
NAME OF SCHEME :-	JAGDAMBA NAGAR -II
ZONE NO.-9	Z D P- 08
SCALE:- 1: 500	DRG. NO.

JAIPUR DEVELOPMENT AUTHORITY JAIPUR